



न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 66/2020

-: प्रार्थीगण :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. कानाराम पुत्र भेरुराम		1. बक्साराम पुत्र बुधाराम फौत के कायम मुकाम-
2. हड़मानराम पुत्र भेरुराम		1/1 जगाराम पुत्र बक्साराम
जातियान जाट निवासी मंगेरिया		1/2 हरिराम पुत्र बक्साराम
तहसील भोपालगढ़		1/3 आसाराम पुत्र बक्साराम
		1/4 तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम
		1/5 मनिषा पुत्री नृसिंहराम नाबालिग जरिये वली माता तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम
		1/6 कोची देवी पुत्री बक्साराम
		1/7 सीता देवी पुत्री बक्साराम
		1/8 भिदा देवी पुत्री बक्साराम
		1/9 केसू देवी पुत्री बक्साराम
		2. बुधाराम पुत्र मोडाराम
		3. नेनाराम पुत्र मोडाराम
		4. भागीरथ पुत्र मोडाराम
		5. नारायणराम पुत्र लिछमणराम फौत के कायम मुकाम-
		5/1 बाबूराम पुत्र नारायणराम
		6. झुन्झाराम पुत्र हेमाराम
		7. कवराई पत्नी शिवदानराम
		8. सिधाराम पुत्र लिछमणराम जातियान जाट निवासी मंगेरिया
		9. गजेशिंह पुत्र प्रभुसिंह
		10. भगवानसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
		11. उच्छब कंवर पत्नी प्रभुसिंह
		12. सज्जन कंवर पत्नी हिम्मतसिंह
		13. सुरज्ञान कंवर पत्नी अनोपसिंह जातियान राजपूत निवासी मंगेरिया
		14. तहसीलदार भोपालगढ़



  
 सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकारी  
 भोपालगढ़ (जोधपुर)

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित-।

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक:-08.10.2021

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया गया जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 242 जिसके खसरा नं. 627 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 627/2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 06 कुल रकबा 44 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थीगण की आयी हुई है, सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 तक व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा सुद जमीन खसरा नं. 627 व 627/2 के पश्चिम की तरफ खसरा नं. 619 व पूर्व की तरफ खसरा नं. 628 सरकारी भूमि, दक्षिण की तरफ खसरा नं. 627/1 व उत्तर की तरफ कांकड़ माठ आयी हुई है व खसरा नं. 655 व 655/1 के दक्षिण तरफ खसरा नं. 565 जो कि सरकारी गोआ है पूर्व की तरफ खसरा नं. 656 आबादी भूमि है पश्चिम की तरफ 653 सरकारी भूमि है व उत्तर की तरफ खसरा नं. 654 आया हुआ है तथा खसरा नं. 732 व 732/1 के पूर्व की तरफ खसरा नं. 731, दक्षिण की तरफ रास्ता है उत्तर की तरफ खसरा नं. 730/1, पश्चिम खसरा नं. 733, 734, 737 है, उक्त पडौस के बीच वाले हमारी खातेदारी भूमि आयी हुयी है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त खेत खसरा नं. 627/2 के दक्षिण की तरफ अप्रार्थी संख्या 01 मेरी खातेदारी माठ को खुर्द बुर्द कर रहा है व खसरा नं. 655 व खसरा नं. 655/1 व खसरा नं. 655 के पूर्वी माठ को अप्रार्थी संख्या 01 खुर्द बुर्द कर रहा है तथा खसरा नं. 732 के पूर्वी माठ को अप्रार्थी संख्या 01 खुर्द बुर्द कर रहा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 627, 627/2, 655, 655/1, 732, 732/1 का नाप चौप कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम मंगेरिया के खसरा नं. 627 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 627/2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का नाप चौप कर सीमांकन किया जाकर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 05 के फौत होने से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 05 के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 13 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।



*(Signature)*  
 सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकारी  
 भोपालगढ़ (जोधपुर)


हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के राजस्व ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 242 जिसके खसरा नं. 627 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अब्दल, खसरा नं. 627/2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अब्दल कुल खसरा 06 कुल रकबा 44 बीघा 01 बिस्वा खातेदारी भूमि का सीमांकन एवं नाप चौप कर पत्थरगढ़ी हेतु आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मंगेरिया तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 242 जिसके खसरा नं. 627 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अब्दल, खसरा नं. 627/2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 655/1 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नं. 732/1 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अब्दल भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु टीम गठित कर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जावे। सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक संसाधन प्रार्थीगण उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)  
जिला-जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ़ (जोधपुर)  
जिला-जोधपुर (राज.)